पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(सीकर–झुंझुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक:–प–4( ) अकादमिक / विद्या–परिषद / 2015–16 / 16222 दिनांक: 21.8.2020

दिनांक 21.08.2020 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.08.2020 को ऑन–लाईन प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:–

1. प्रो. जीत सिंह संधु	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2. डॉ. आशुतोष मिश्रा	सदस्य
3. डॉ. रामगोपाल शर्मा	सदस्य
4. डॉ. नीलम भार्गव	सदस्य
5. डॉ. डी.पी. मीणा	सदस्य
6. डॉ. प्रेम सिंह मीणा	सदस्य
7. डॉ. हेमवारी	सदस्य
8. डॉ. रविन्द्र कटेवा	सदस्य
9. डॉ पुष्पलता शर्मा	सदस्य
10. डॉ. अशोक गोदारा	सदस्य
11. डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, RAS	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अधोहस्तारकर्त्ता द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्ड़ा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: गत बैठक दिनांक 24.02.2019 की कार्यवाही का अनुमोदन।

निर्णयः– सर्वानुमति से दिनांक 24.02.2019 की विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण को मय विद्या परिषद की बैठक दिनांक 24.02.2019 की अनुपालना रिपोर्ट के साथ अनुमोदित किया जाता है। बिन्दु संख्या 14 एवं 15 में डॉ. के. सी. अग्रवाल संयोजक के सेवानिवृत हो जाने के कारण इनके स्थान पर अन्य संयोजक की नियुक्ति की जाकर समिति को निर्देशित किया जावें कि अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा तैयार "आनन्दम" पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर <u>चर्चा/निर्णय।</u>

निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्ड़ल के संयोजकों की बैठक बुलाकर "आनन्दम" पाठ्यक्रम पर चर्चा कर अनुमोदन करवाकर शीध्र लागू किया जावें।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: EPMC की बैठक दिनांक 13.08.2020 की कार्यवाही पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णयः– बिन्दु संख्या 01 से 04 पर निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों का उनके प्रायोगिक रिकार्ड के आधार पर मूल्यांकन आन्तरिक परीक्षक के साथ–साथ बाह्य परीक्षक से भी करवाया जावें तथा बाह्य परीक्षक अपनी संतुष्टि हेतु परीक्षार्थी से दूरभाष पर सम्पर्क कर विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है।

बिन्दु संख्या 05 से 06 पर निर्णयः EPMC के निर्णय का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्या 07 से 09 पर निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इन्तजार किया जावें तत्पश्चात स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार को परीक्षा आयोजित करवाने की अनुमति हेतु पत्र लिखा जावें तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने की स्थिति में EPMC के निर्णय को यथास्थिति लागू किया जावें।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार के पत्रांक F.10(4) Edu-4/2008 Part Date: 28.02.2020 द्वारा अनुमोदित नवीन पाठ्यक्रमों B.P.Ed., M.P.Ed. ITEP (Pre-Primary to Primary), ITEP (Upper-Primary to Secondary) के प्रारंभ किये जाने के संबंध में <u>चर्चा/निर्णय।</u>

निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्ड़ल की बैठक बुला कर पाठ्यक्रम का अनुमोदन करवाया जावें।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अद्यतन के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्ड़ल की बैठक बुलाकर संबंधित विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर पाठ्यक्रम अद्यतन करवाये जावें।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06: विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (Choice Based Credit System) के क्रियान्वयन पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (Choice Based Credit System) हेतु अध्ययन मण्ड़ल से स्नातकोत्तर संकायों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करवा कर इसे लागु किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 07: शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.3 (7) शिक्षा–4/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.06.2020 के बिन्दु संख्या 5 " विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर ई–कन्टेंट के स्लॉट पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए कंटेट को आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा। विश्वविद्यालय परस्पर एक दूसरे के साथ ई–कन्टेंट को साझा करेंगे" पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों से ई–कन्टेट तैयार करवाये जावें तथा ई–कन्टेट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी छात्रों हेतु उपलब्ध करवाये जावें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालयों की वेबसाइट को लिंक किया जावें।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, R.A.S.)
कुलसचिव